कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य/मा–स/22461/2014–17/101 दिनांक : 08/11/2017

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय

विषय :– दिनांक : 08 से 13 दिसम्बर–2017 के दौरान समस्त विद्यालयों में "विशेष स्वच्छता अभियान" आयोजन के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :– प.3(3)प्रा.शि./आयो/2017 जयपुर, दिनांक : 02.11.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं के निर्धारण एवं सफल आयोजन हेतु शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक : 02.11.2017 को आयोजित बैठक के निर्णयानुरूप माह दिसम्बर के द्वितीय सप्ताह में समस्त राजकीय विद्यालयों में "विशेष स्वच्छता अभियान" का आयोजन किया जाना है।

उक्त क्रम में जैसा कि आपको विदित है कि "स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय" अभियान समस्त विद्यालयों में विगत चार वर्षो से सतत् रूप से चलाया जा रहा है, जिसके तहत समस्त राजकीय विद्यालयों में बालक–बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है । ग्रामीण क्षेत्र के समस्त विद्यालयों में उपलब्ध शौचालय एवं पेयजल सुविधाओं की साफ–सफाई एवं रख–रखाव हेतु 500 रूपए प्रतिमाह की दर से 5000/– प्रतिवर्ष (10 माह हेतु) स्वच्छता अनुदान दिया जा रहा है । विद्यालयों में शौचालय एवं पेयजल सुविधा की साफ–सफाई एवं रख–रखाव तथा बालक – बालिकाओं में स्वच्छता एवं स्वास्थ्यप्रद आदतों के विकास तथा आस–पास के पर्यावरण एवं वातावरण को हरा – भरा, स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद बनाए रखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने हेतु आगमी 08 से 13 दिसम्बर – 2017 की अवधि के दौरान समस्त राजकीय विद्यालयों में "विशेष स्वच्छता अभियान" संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्तानुसार क्षेत्राधिकार की समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्दिष्ट अवधि में अग्रांकित विवरणानुसार गतिविधिया/क्रियाकलाप /कार्यक्रम आयोजित करवाए जाने सुनिश्चित करावें :–

1. इस अभियान के दौरान प्रार्थना सत्र में नियमित रूप से स्वच्छता एवं स्वास्थ्यप्रद आदतों की जानकारी शिक्षकों द्वारा छात्र–छात्राओं को प्रदान की जाए।
2. उक्त अभियान के दौरान समस्त बालक–बालिकाओं में स्वच्छता सम्बन्धी आदतों और प्रवृत्तियों का परीक्षण किया जावे, यथा नाखून, शरीर की सफाई, गणवेश की स्वच्छता इत्यादि। कक्षाध्यापक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के बाद परीक्षण अवलोकन की रिपोर्ट एक पृथक रजिस्टर में दर्ज कर स्वच्छता सम्बन्धी आदतों एवं प्रवृत्तियों में सुधार हेतु मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करते हुए प्रेरित किया जाए।
3. संस्था प्रधान द्वारा उक्त अभियान के दौरान प्रार्थना सभा में नियमित रूप से समस्त विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को स्वच्छता सम्बन्धी शपथ समवेत स्वर में दिलवाई जाए। अभियान के दौरान उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों हेतु मिड–डे–मील से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा आवश्यक रूप से साबुन से हाथ धोने की पुख्ता व्यवस्था की जाए । उक्त अभियान के दौरान समस्त विद्यार्थियों एवं भोजन बनाने एवं खिलाने से जुड़े हुए समस्त व्यक्तियों द्वारा भोजन से पूर्व एवं पश्चात् साबुन से हाथ धोने, बर्तनों की सफाई एवं भंडारण की समुचित व्यवस्था इत्यादि समस्त गतिविधियों की जांच–परख एवं निगरानी की समुचित व्यवस्था विकसित करना सुनिश्चित किया जाए।

4 अभियान के दौरान विद्यालयों में शौचालय, पेयजल परिसर, कक्षा–कक्ष, बरामदों वगैरह की साफ–सफाई एवं रख रखाव की स्थाई व्यवस्था हेतु विद्यालय स्टाफ तथा विद्यार्थी प्रतिनिधियों के द्वारा समुचित कार्य योजना का निर्माण करवाया जाए ।

5 कक्षा – कक्षों में स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण की सुनिश्चितता हेतु प्रत्येक कक्षा का एक स्वच्छता मॉनिटर मनोनीत किया जाए तथा उक्त अभियान के दौरान विद्यालय स्टाफ द्वारा सम्पूर्ण विद्यालय परिसर के निरीक्षण एवं अवलोकनोपरान्त सर्वाधिक स्वच्छ, सुरूचिपूर्ण एवं साज–सज्जा पूर्ण कक्षा–कक्ष हेतु सम्बन्धित मॉनिटर को प्रार्थना सभा में पुरस्कृत करने की कार्यवाही करवाई जाए।

6 विद्यालय के शौचालय/मूत्रालयों की नियमित एवं सतत् साफ–सफाई हेतु उक्त अभियान के दौरान उनका जल सम्बन्ध रनिंग वाटर सिस्टम से अथवा इसके अभाव में शौचालय में छोटी पानी की टंकी रखे जाने की स्थाई व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाए। टंकी में नियमित रूप से पानी की पूर्ति हेतु साप्ताहिक आधार पर अथवा सप्ताह में वार के अनुसार कक्षावार जिम्मेवारी प्रदान की जाकर अथवा अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर नियमित साफ–सफाई की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाए।

7 स्वच्छता अभियान के दौरान विद्यालयों में पानी की टंकियों (जल भण्डारण आगार) की पूर्ण सफाई अथवा सम्पूर्ण विद्यालय परिसर के रंग–रोगन/साफ – सफाई जैसे प्रतीकात्मक कार्यो के माध्यम से विद्यार्थियों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

समस्त संस्था प्रधानों द्वारा निर्दिष्ट अवधि में उपर्युक्त निर्देशित कार्यवाही सम्पादित की जाकर अभियान समाप्ति के उपरान्त अभियान के दौरान सम्पादित गतिविधियों का विस्तृत प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
6. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को मण्डल परिक्षेत्र में प्रभावी प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
9. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
10. सहायक निदेशक, शाला दर्पण, कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर